न्यायालय अति. जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 143/2020 आवन्टन निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र

1. मदन भाट पुत्र नन्द लाल भाट निवासी राणा जी का गुड्ढा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

बनाम

1. शांति लाल पुत्र शम्भू लाल शर्मा निवासी राणा जी का गुड्ढा तहसील बिजौलिया
2. श्रवण कुमार पुत्र शम्भू लाल शर्मा निवासी राणा जी का गुड्ढा तहसील बिजौलिया
3. राधा पुत्री शम्भू लाल शर्मा निवासी राणा जी का गुड्ढा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा
4. नर्बदा पुत्री शम्भू लाल शर्मा निवासी राणा जी का गुड्ढा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा
5. दुर्गा पुत्री शम्भू लाल शर्मा निवासी राणा जी का गुड्ढा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा
6. रामकन्या पत्नि शम्भू लाल शर्मा निवासी राणा जी का गुड्ढा तहसील बिजौलिया
7. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार बिजौलिया
8. वन अधिकारी तिलस्वा वन विभाग तिलस्वा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा

–प्रार्थी

–विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व(कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि आवंटन)नियम 1970 की धारा 14(4) विरूद्ध शम्भूलाल शर्मा के पक्ष में ग्राम–गुड्ढा (भू0अ0नि0–कांस्या तह–बिजौलिया जिला भीलवाड़ा) में हुआ आवंटन निरस्त करने बाबत्

उपस्थित –

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अनुपस्थित
2. श्री दिनेश शिशोदिया अधिवक्ता – विपक्षी संख्या 01 से लगायत 06 की ओर से

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक 13.10.2025

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत विपक्षी के विरूद्ध प्रेषित कर निवेदन किया कि ग्राम गुड्ढा (पटवार हल्का–गुड्ढा भूअनि वृत्त–कांस्या तह–बिजौलिया जिला भीलवाड़ा) में आराजी संख्या 475/1 रकबा 4 बीघा स्थित है, जो विपक्षीगण के पिता/पति शम्भूलाल शर्मा के नाम 12.04.1983 को आवंटित हुई जिनके निधन पश्चात् उनके वारिसान पुत्र/पुत्रियां अर्थात विपक्षीगण 1 से 6 को पक्षकार बनाया गया है। वन विभाग अधिकारी आवश्यक पक्षकार होने से बतौर विपक्षी पक्षकार बनाया गया है। उक्त आराजियात व गांव की अन्य आराजियात राजस्व विभाग,राज० सरकार की विज्ञप्ति कमांक एफ2(27)राज. 8/78 दिनांकित 07.02.1979 से वनभूमि दर्ज की गई है।

13.10.25

अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

आसपास की समस्त भूमि वनभूमि दर्ज है और मौके पर वनक्षेत्र होकर वन व पथरीली जमीन होने से कृषि योग्य नहीं है। मौके पर उक्त भूमि पर न तो कृषि की जा रही है और न ही भौतिक रूप से शम्भुलाल व उनके बाद विपक्षीगण का कब्जा एवं उपयोग उपभोग में है। राजस्व विभाग की उक्त विज्ञप्ति से अन्य किसानों को हुआ आवंटन भी निरस्त कर दिया गया, इस कारण शम्भुलाल का आवंटन भी निरस्तनीय है। अतः प्रार्थना है कि विपक्षीगण के पिता/पति शम्भूलाल के पक्ष में हुआ आवंटन दिनांक 12.04.1983 व तत्संबंधी पश्चातवर्ती कार्यवाही व आदेश खारिज फरमाए जाए।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय में पंजीबद्व किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 01 से 06 की ओर से जवाब पेश। रिकार्ड तलब किया गया। दोराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रकरण में विपक्षी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी

विपक्षी संख्या 01 लगायत 06 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि उक्त आराजियात में शंभुलाल को भूमिहीन सद्भाविक कृषक होने से आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विधिवत रूप से 12.04.1983 को आवंटित कर कब्जा सुपुर्द किया गया है। जिस पर शंभुलाल व उनके निधन उपरांत उत्तरदाता विपक्षीगण बहैसियत सद्भाविक काश्तकार के काबिज हो निरंतर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। विधिवत आवंटन 36 वर्षों उपरांत आवंटन की वैधानिकता पर न तो प्रश्नचिन्ह लगाया जा सकता है और न ही उसे प्रासांगिक ही बनाया जा सकता है, इतना ही नहीं प्रार्थी वक्त आवंटन नाबालिग होने के साथ–साथ किसी कदर उक्त विधिवत आवंटन से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं रहा है, न आज भी है। वक्त आवंटन उक्त भूमि वन भूमि दर्ज नहीं थी, न कभी वन भूमि रही है और न ही पथरीली भूमि है तो फिर उक्त आवंटन को इस आधार पर अपास्त किए जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। नियमों उप–नियमों के पालना उपरान्त ही उक्त भूमि आवंटित हुई जिस बाबत खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके है और निर्वाद रूप से जहां खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है वहां नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के प्रावधान प्रभावी नहीं रहते है। यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की कोई किसी प्रकार की लोकस स्टेण्डाई प्रार्थी को विधि के तहत प्राप्त नहीं है। न ऐसा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का प्रार्थी को हक अधिकार प्राप्त है। वैसे भी विधि के तहत एक अतिक्रमी किसी कदर ऐडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) खारिज किया जावे।

13.10.25
अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया। जिस अनुसार पाया गया कि आवंटी शंभूलाल को ग्राम गुढा की आराजी नं. 475/1 रकबा 4.00 बीघा भूमि का आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 12.04.1983 को जरिये लगान, पटटा फीस जमा कर, आवंटन किया गया, जिसमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का अध्ययन करने पर आवंटित भूमि मिसरिप्रजेन्टेशन एवं फ्रॉड श्रेणी में नहीं आती हैं। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विधिक रूप से आवंटन किया जाना स्पष्टतः इंगित होता हैं। आवंटन पश्चात् विपक्षी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना की जाने से विपक्षी को उक्त आवंटन आराजी में खातेदारी प्रदान की गयी।

उपरोक्त विवचेन अनुसार उक्त आवंटित भूमि पर विपक्षी को आवंटन के 36 वर्ष व्यतीत हो जाने से तथा आवंटित भूमि मिसरिप्रजेन्टेशन एवं फ्रॉड की श्रेणी से मुक्त होने से एवं आवंटित भूमि पर विपक्षी को खातेदारी अधिकारी प्राप्त होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 सारहीन, आधारहीन व तथ्यहीन होने से अस्वीकार योग्य ठहरता हैं। अतएव–

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) बाबत् भू–आवंटन निरस्तीकरण सारहीन, आधारहीन व तथ्यहीन होने से अस्वीकार किया जाता हैं। विपक्षी संख्या 01 से 06 के पिता/पति को किया गया आवंटन यथावत रखा जाता हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार बिजौलिया को संप्रेषित की जावे। तलबिदा रिकार्ड जिला अभिलेखालय भीलवाडा को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13.10.25

(रणजीत सिंह)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा